पंचायती राज महासंघ पंचायत प्रतिनिधियों का एक संयुक्त मंच हैं, जो प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त, सक्रिय, जवाबदेह एवं पारदर्शी बनाने के लिये प्रयासरत् है। वर्तमान में 25 जिलों के 40 ब्लाकों में लगभग 5000 निर्वाचित जन–प्रतिनिधि पंचायती राज महासंघ की सदस्यता ग्रहण कर कार्यरत् है।

हमारा ई-मेल : pancham.news@gmail.com

पंचम्

पंचायती राज महासंघ का समाचार-पत्र

प्रति,

.....
.....
.....

वर्ष : 8 अंक : 7 | भोपाल, जुलाई 2014 | RNI MP 2007/20746 | पृष्ठ : 8 | मूल्य 5 रूपए

सेहत जिन्दगी का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और व्यक्ति एवं समाज के विकास से इसका सीधा संबंध है। यही कारण है कि विकास के संकेतकों में ''स्वास्थ्य'' को प्रमुखता से शामिल किया गया है। जब हम पंचायत एवं ग्राम स्वराज की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं, संस्थागत् प्रसूति, टीकाकरण एवं अन्य योजनाओं की देखरेख करना भी ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। अतः पंचम में हम ''स्वास्थ्य और टीकाकरण'' पर केन्द्रित विशेष कॉलम शुरू कर रहे हैं। इस कॉलम में स्वास्थ्य, टीकाकरण, शिशु, बाल एवं मातृ मृत्युदर, जन्मदर तथा इसमें पंचायत की भूमिका पर केन्द्रित सामग्री प्रकाशित की जाएगी।

स्वास्थ्य का अधिकार, टीकाकरण और पंचायत की भूमिका

बीमार होने पर इलाज की जरूरत प्रत्येक व्यक्ति को पड़ती है और इसके लिए क्लस्टर स्तर से जिला स्तर तक सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र व अस्पताल उपलब्ध हैं। किन्तु इसके साथ ही ऐसे उपाय भी जरूरी है, जिससे व्यक्ति बीमार ही न हो। इस संदर्भ में टीकाकरण एक महत्वपूर्ण आयाम है, जो शिशु के पैदा होते ही शुरू हो जाता है। टीकाकरण इंसान को कई गंभीर बीमारियों से बचाता है और उसके जीवन की रक्षा करता है। अतः प्रत्येक बच्चे एवं गर्भवती महिला का टीकाकरण करना उसे स्वास्थ्य का अधिकार देने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है। गांव के विकास के लिए काम करने वाली पंचायतों को भी यह सोचना होगा कि जब तक गांव में 100 प्रतिशत टीकाकरण नहीं हो, तब तक विकास का कोई मतलब नहीं है।

टीकाकरण बचपन में होने वाली कई जानलेवा बीमारियों से बचाव का सबसे अधिक सुरक्षित और असरदार तरीका है। मध्यप्रदेश में संचालित किए जा रहे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 100 प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। टीकाकरण से खसरे जैसी खतरनाक बीमारी पर काबू पाया जा सकता है, टेटनस का निर्मूलन किया जा सकता है और पोलियो की बीमारी का उन्मूलन किया गया है। यह स्पष्ट है कि टीकाकरण से जानलेवा बीमारियों से बच्चे की रक्षा होती है और बच्चों में बीमारी तथा मृत्युदर को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यही कारण है कि बच्चे के पैदा होने के साथ ही टीकाकरण की शुरूआत हो जाती है। पैदा होने के 24 घंटे के अंदर बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी लगता है और एक साल के अंदर डीपीटी तीन, एचपीबी तीन, ओपीबी तीन विजल्स एक लगता है टीकाकरण के इस महत्व को देखते हुए लोगों को इससे संबंधित जानकारियों के प्रसार की जरूरत महसूस होती है, साथ ही ग्राम पंचायतों को भी इस दिशा में अपनी भूमिका निभानी होगी, ताकि जन्म लेने वाले प्रत्येक शिशु की गंभीर बीमारियों से रक्षा की जा सकें। अब तक के अनुभवों के आधार पर टीकाकरण कार्यक्रम में कुछ बाधाएं भी सामने आती रही है। कुछ बच्चे एक या एक से अधिक टीके लगवाकर अगले टीके के लिए नहीं आते, जिससे टीकाकरण अधूरा रह जाता है, टीकाकरण केन्द्र तक लोगों की पहुंच नहीं हो पाना, दूरद. राज के लोगों को टीकाकरण की जानकारी नहीं होना तथा कुछ परंपरागत् धारणाओं के कारण टीकाकरण नहीं करवाना आदि कई बाधाओं के कारण बच्चों का जीवन गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाता है। अतः लोगों में सरकारी अस्तपालों के प्रति विश्वास बढाना होगा ताकि वे वहां पहुंच सकें।

संपूर्ण टीकाकरण के लिए क्या कर सकती है ग्राम पंचायत

देश में पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना के बाद गांव के विकास की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों के हाथों में आ गई है। इसके लिए सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से लेकर निर्माण कार्यो तक के कई कार्य पंचायतें करती है। किन्तु जब तक विकास को इंसान के स्वास्थ्य से जोड़कर नहीं देखेंगे, तब तक विकास अधूरा होगा। अतः ग्राम पंचायतों के लिए यह जरूरी है कि स्वास्थ्य और टीकाकरण को भी अपने काम का हिस्सा बनाए। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य और टीकाकरण के लिए पंचायत एवं गांव स्तर पर सरकार द्वारा सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, पंचायतों को यह देखना होगा कि ये सुविधाएं लोगों को मिल रही है या नहीं? यदि स्वास्थ्य सेवा तक लोगों की पहुंच नहीं हो रही हो तो पंचायतों को इसके उपाय तलाशने होंगे। ग्राम पंचायत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पंचायत क्षेत्र में सभी बच्चों का टीकाकरण हो। इसके लिए सबसे पहले ग्राम पंचायत अपनी पंचायत से जुड़े सभी गांवों में टीकाकरण के लिए ऐसा स्थान उपलब्ध कराए, जहां सभी लोग आसानी से पहुंच सकें। साथ ही सभी नव जात शिशुओं और एक वर्श तक के शिशुओं का पंजियन करवाकर उनकी गिनती रकवाएं। उपस्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ ए.एन.एम. (नर्स) गांव–गांव जाकर टीकाकरण करती है। जिस दिन ए.एन.एम. गांव में आने वाली हो, उसकी सूचना सरपंच द्वारा गांव के सभी मोहल्लों में भिजवाई जानी चाहिए तथा इसके लिए गांव में ckdh it 2 ij

आप भी लिखिए

स्वास्थ्य, टीकाकरण और पंचायत की भूमिका विषय पर आप अपने विचार एवं सुझाव हमें लिख सकते हैं। आप इन बिन्दुओं पर लिख सकते हैः-

- **आपके गांव में टीकाकरण की क्या स्थिति है? कब-कब टीकाकरण होता है? लोग टीकाकरण के प्रति कितने सचेत है?**
- **क्या टीककरण में कोई समस्या आती है? यदि हां तो किस तरह की और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है?**
- **क्या आपके गांव में 100 प्रतिशत बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो चुका है?**
- **आपके गांव में गर्भवती महिलाओं, शिशुओं एवं बच्चों के इलाज की क्या सुविधा है?**
- **आपके गांव में ए.एन.एम. (नर्स), आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोई उल्लेखनीय कार्य कर रही है तो लिखें। उन्हें कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है?**
- **स्वास्थ्य के अधिकार में पंचायत क्या भूमिका निभा सकती है?**

उपरोक्त बिन्दुओं पर केन्द्रित अपनी राय आप पंचम के पते पर भेज सकते हैं या ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। आप हमें फोन पर भी अपनी राय लिखवा सकते हैं।

फोन नं. है-8889884676

i:t ,d l: tkjh

टीकाकरण में पंचायत की भूमिका : एक नज़र में

मुनादी करवाई जा सकती है, जिससे सभी लोगों को यह खबर मिल सके के गांव में टीकाकरण होने वाला है। यदि कोई लोग गांव से बाहर हो तो पहले से सूचना भिजवाकर उन्हें गांव में बुलाया जा सकता है। आमतौर पर आंगनबाड़ी केन्द्र में टीकाकरण किया जाता है। इसके लिए सरपंच को यह देखना चाहिए कि वहां पर पीने के साफ पानी, शौचालय तथा लोगों के एकत्र होने की व्यवस्था है या नहीं। यदि यह व्यवस्था नहीं है तो पंचायत द्वारा वहां ये व्यवस्था करवाई जा सकती है। पंचायत में 100 प्रतिशत टीकाकरण के लिए प्रत्येक पंच द्वारा यह जिम्मेदारी ली जा सकती है कि वह अपने वार्ड में उन बच्चों व महिलाओं की सूची बनवाए जिनका टीकाकरण किया जाना है तथा उस सूची के अनुसार वह यह देखें कि समयानुसार उनका टीकाकरण हुआ या नहीं। गांव में टीकाकरण का उत्साहजनक वातावरण बनाने के लिए पंचायत द्वारा ग्रामसभा में उन परिवारों को सम्मानित किया जा सकता है, जिन्होंने अपने बच्चों का टीकाकरण पूर्ण करवा लिया है।

इस तरह ग्राम पंचायत कई ऐसे तरीके अपना सकती है, जिनसे लोगों को टीकाकरण की जानकारी मिले, साथ ही टीकाकरण के बारे में लोगों ने मन में उत्पन्न शंकाओं का भी समाधान कर लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। साथ ही ग्राम स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छा समिति की नियमित बैठक कर संपूर्ण टीका करणपर चर्चा करें एवं एएनएम से टीकाकरण के आंकडे एवं जानकारी प्राप्त करें।

- टीकाकरण केन्द्र के रूप में ऐसा स्थान चुने जो सुविधाजनक हो तथा सभी लोग वहां आसानी से पहुंच सकें।
- टीकाकरण केन्द्र पर सभी जरूरी सुविधाएं जैसे पीने का साफ पानी, शौचालय, लोगों के बैठने के लिए स्थान और छांव की व्यवस्था करें।
- टीकाकरण के स्थान व समय की सूचना देने के लिए गांव में मुनादी करवाएं तथा दूर बसे मोहल्लों में भी खबर पहुंचाकर लोगों को टीकाकरण के लिए आमंत्रित करें।
- शिशुओं तथा गर्भवती महिलाओं की वार्डवार सूची बनाकर उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। यह सूची वार्ड पंच अपने पास रखें और लोगों से सम्पर्क करें।
- टीकाकरण के दिन सरंपच एवं पंच टीकाकरण केन्द्र पर उपस्थित रहे और लोगों से टीकाकरण के विषय पर चर्चा करें।
- अपने बच्चों को सभी टीके नियमानुसार लगवाने वाले परिवारों को ग्रामसभा में विशेष तौर पर आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित करें। इससे गांव में टीकाकरण के बारे में उत्साहजनक वातावरण बनेगा।

Tkkudkjh

कौन से टीके कब लगाए जाते हैं ?

xHkZorh efgykvksa ds fy, Vhds

- Vh-Vh-&1 % यह टीका गर्भवती महिला को गर्भावस्था के शुरूआती महीनों में लगाया जाता है। यह ऊपरी बांह पर लगाया जाता है।
- Vh-Vh-&2 % यह टीका टी.टी. 1 टीका लगने के 4 सप्ताह बाद लगाया जाता है।
- Vh-Vh cwLVj % टी.टी 2 या बूस्टर खुराक गर्भधारण के 36 सप्ताह के पहले ले ली जानी चाहिए। फिर भी ये खुराक 36 सप्ताह के बाद भी दी जा सकती है। यदि महिला को पहले टेटनस का टीका नहीं दिया गया है तो उसे प्रसव के दौरान टेटनस का टीका लगाया जाता है।

f'k'kqvksa ds fy, Vhds

- बी.सी.जी.: यह टीका जन्म के 24 घंटे के अंदर लगाया जाता है। किन्तु यदि जन्म के समय नहीं लगाया गया हो तो एक वर्ष की उम्र के पहले जरूर लगाया जाना चाहिए। यह कोशिश होनी चाहिए कि यह टीका जितनी जल्दी हो, शिशु को लगाया जाए। यह टीका बायी ऊपरी बांह पर लगाया जाता है। यह टीका टी.बी. की बीमारी से रक्षा करता है।
- हेपेटाइटिस–बी : यह टीका जन्म से समय या 24 घंटे के भीतर जितनी जल्दी हो सके लगाया जाना चाहिए। यह टीका मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में लगाया जाता है। यह टीका हेपेटाईटिस–बी रोग से रक्षा करता है। हेपेटाईटिस–बी एक संक्रामक रोग है जिससे पीलिया व अचानक तेजी से बढ़ने वाला लिवर रोग, सिरोसिस (सूत्रण रोग) तथा लिवर कैंसर हो सकता है।
- ओ.पी.वी.–0: जन्म के समय या 15 दिनों के भीतर जितनी जल्दी हो यह टीका दिया जाना चाहिए। यह टीका दवाई के रूप में 2 बूंद मुंह से पिलाया जाता है।
- ओपीवी 1, 2, व 3 : यह टीका 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में दिया जाता है। यह दवाई के रूप में दो बूंद मुंह से पिलाया जाता है। यह पोलियो से रक्षा करता है। पोलियो एक वायलर संक्रमण है जिससे नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है तथा गंभीर बीमारियों जैसे लकवा और मौत तक हो सकती है। 15 वर्ष की आयु तक के बच्चों में शरीर के किसी भी भाग में अचानक कमजोरी इस रोग का लक्षण है। मुंह से पिलाई जाने वाली पोलियो की दवाई यानी ओ.पी.वी. इस खतरनाक बीमारी की रोकथाम का एक मात्र असरकारक तरीका है।
- Mh-ih-Vh&1] 2] o 3 % यह टीका 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में दिया जाता है। यह बच्चे की मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में लगाया जाता है। यह टीका गलघोटू रोग से रक्षा करता है। गलघोटू ऐसा संक्रामक रोग है जो श्वासनली को संक्रामित करता है। यदि यह टीका नहीं लगाया गया तो बच्चे को 14 साल की उम्र तक गलघोटू का संक्रमण बार–बार हो सकता है। डीपीटी का टीका काली खांसी से भी रक्षा करता है। इस तरह तीन बीमारियों से रक्षा करता है।
- gsiVkbfVl ch&1] 2] o 3 % यह टीका 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में दिया जाता है। यह भी बच्चे की मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में लगाया जाता है।
- [kljk % यह टीका बच्चे के 9 माह पूरे होने से लेकर 12 माह तक कभी भी लगाया जा सकता है। यह बच्चे की दायी बांह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। यह टीका खसरे की गंभीर बीमारी से रक्षा करता है। खसरा रोग एक विषाणु से होने वाला संक्रामक रोग है। यह विषाणु रोगी व्यक्ति के नाक, मुंह या गले में पाया जाता है।
- foVkfeu&, ¼igyh [kqjkd½ % विटामिन ए की खुराक बच्चे को 9 माह की उम्र में पिलाई जाती है। यह खसरे का टीका लगने के दौरान ही पिला दी जाती है। इससे बच्चे में विटामिन ए की कमी दूर होती है। विटामिन ए की कमी से आंख संबंधी रोग ''रतौंधी'' हो सकता है। रतौंधी में व्यक्ति को रात्रि में दिखाई नहीं देता है।

cPpksa ds fy, Vhds

- Mh-ih-Vh-cwLVj % यह टीका 16 से 24 माह के बीच लगाया जाता है। यह मध्य जांघ के बाहरी हिस्से में लगाया जाता है।
- खसरा (दूसरी खुराक) : यह टीका 16 से 24 माह के बीच लगाया जाता है। यह बच्चे के दायी बांह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है।
- vks-ih-oh-&cwLVj % यह टीका 16 से 24 माह के बीच दिया जाता है। यह दवाई के रूप में मुंह से पिलाया जाता है।
- tkikuh ,UlsQ~ykbfVl % जापानी ऐन्सीफैलाइटिस का टीका इस रोग से ग्रस्त चुनिन्दा जिलों में लगाया जाता है। यह टीका 16 से 24 माह के बीच लगाया जाता है। यह बच्चे की बायी बांह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। यह मध्यप्रदेश में नहीं दिया जाता।
- विटामिन ए (दूसरी खुराक) : विटामिन ए की दूसरी खुराक 16 माह के बाद दी जाती है। उसके बाद प्रत्येक 6 माह के अंतराल पर 5 वर्ष की उम्र तक एक–एक खुराक दी जाती है। यह दवाई के रूप में मुंह से पिलाई जाती है।
- Mh-ih-Vh cwLVj % यह टीका बच्चे को 5 से 6 वर्ष की उम्र में लगाया जाता है। यह बच्चे की बांह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है।
- VhVh % यह टीका 10 से 16 वर्ष की उम्र में लगाया जाता है। यह बच्चे की बांह के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। यह टीका टीटेनस की बीमारी से रक्षा करता है। टीटेनस को धुनर्वात भी कहा जाता है। इस रोग में शिशु की गर्दन व शरीर अकड़ने लगता है और मांसपेशिया ऐंठने लगती है।

आशा के प्रेरक प्रयास

ग्रामवासियों की स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच कायम करने की दिशा में आशा कार्यकर्ता की भूमिका अत्यन्त बुनियादी और महत्वपूर्ण है। आशा का कार्य संस्थागत् प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचाना तो है ही, साथ ही वह स्वास्थ्य के संबंध में लोगों को जागरूक कर सकती है। पिछले दिनों हमें ऐसे कई उदाहरण मिले, जहां आशा कार्यकर्ताओं ने महिलाओं और बच्चों को अस्पताल पहुंचाकर उनका जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहां प्रस्तुत है आशा कार्यकर्ताओं के कुछ प्रेरणास्पद प्रयास।

आशा की सूझबूझ से बची जिन्दगी

ftd vk-vkj-,l- l gvk nLr ij fu;=.k] MkDVj u dh vk'kk d dke dh ljkguk

jfodkUr ik.M; }kjk

jhokA जिले के मऊगंज विकास खण्ड के मूरचाअटारी गांव के आरोग्य केन्द्र की आशा कार्यकर्ता की कर्मठता प्रशंसा का कारण बनी हुई है। यहां आशा कार्यकर्ता की सूझबूझ से गांव के एक बच्चे का जीवन बच पाया। मुरचाअटारी गांव के रहने वाले मकबूल के पांच वर्षीय बेटे को दस्त की बीमारी हो गई थी। दस्त के कारण शरीर का पानी बाहर निकल गया था और बच्चे की हालत बहुत ही खराब हो गई थीं। बच्चे की कमजोर पड़ती हालत को देखते हुए उसे जल्दी ही डॉक्टर को दिखाना जरूरी था। किन्तु आसपास न तो कोई डॉक्टर थे और न ही कोई अस्पताल थे। इस दशा में अकेले मऊगंज के अस्पताल का ही सहारा था। किन्तु बच्चे की हालत इतनी खराब हो गई थीं कि वहां तक ले जाना भी मुश्किल हो रहा था। इस दशा में आशा कार्यकर्ता ने ओआरएस का घोल बनाकर बच्चे को पिलाया तथा जिंक की गोली दी। इससे बच्चे को राहत मिलने लगी और उसके शरीर में पानी की कमी दूर होने लगी। ओआरएस तथा जिंक से बच्चे को इतनी राहत मिली कि उसे मऊगंज के अस्पताल तक ले जाना आसान हुआ। जब परिवार के लोग बच्चे को मऊगंज के डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसके शरीर में पानी की बहुत कमी हो गई है तथा आशा ने इसे ओआरएस पिलाकर एवं जिंक की गोली देकर इसकी जान बचा ली। डॉक्टर ने आशा के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि ''यदि सभी आशा कार्यकर्ता इसी तरह काम करे तो दस्त जैसी बीमारी पर आसानी से काबू पाया जा सकता है और लोगों में भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाई जा सकती है।''

vkjkX; dUn l feyu yxh LokLF; lfo/kk

jhr'k dekj }kjk

flxjkyhA सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा लोगों तक कैसे पहुंचे यह सवाल अक्सर सामने आता रहा है। सरकार द्वारा गांव–गांव में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में कई जिलों में आंगनबाड़ी सह ग्राम आरोग्य केन्द्र शुरू किए और उनके संचालन की जिम्मेदारी आशा कार्यकर्ता को दी गई। उत्तरप्रदेश की सीमा से जुड़े सिंगरौली जिले के चितरंगी ब्लाक में 281 आरोग्य केन्द्र स्थापित किए गए। पहले जहां ये केन्द्र लोगों को सेवा नहीं दे पा रहे थे, वहीं आज इन तक लोगों की पहुंच बन चुकी है। यहां के ज्यादातर आरोग्य केन्द्र ठीक से काम नहीं कर रहे थे। करीब आधे केन्द्र आशा कार्यकर्ता के घर से संचालित किए जा रहे थे। घर से संचालित होने वाले इन केन्द्रों में लोगों जाते नहीं थे और न ही आशा कार्यकर्ता लोगों को केन्द्र तक बुलाने का कोई प्रयास करती और न ही आरोग्य केन्द्र में किसी भी प्रकार की गतिविधियां की जाती थी। कई लोगों को आरोग्य केन्द्र के बारे में जानकारी भी नहीं थी। गांव में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी था कि इन केन्द्रों को अच्छी तरह संचालित किया जाए। अतः आरोग्य केन्द्र को बेहतर बनाने के लिए समर्थन टीम द्वारा विशेष प्रयास किए गए। इसके लिए आशा कार्यकर्ताओं से सम्पर्क कर आरोग्य केन्द्र की स्थिति पर चर्चा की गई। आशा कार्यकर्ता भी अपना काम बेहतर तरीके से करना चाहती थीं, किन्तु वह अकेली पड़ गई थीं और सभी समस्याओं से उन्हें अकेले ही जूझना पड़ता था। उन्हें मदद करने वाला भी कोई नहीं था। साथ ही समय–समय पर उन्हें जो जानकारियां चाहिए थीं, वह भी नहीं मिल पा रही थी। इस दशा में समर्थन के साथियों ने सहयोग और समन्वय की नीति अपनाकर संवाद कायम किया और गांवों में भी लोगों को प्रेरित किया कि ''आरोग्य केन्द्र पूरे गांव का है तथा इसमें सभी ग्रामवासियों को सहयोग करना चाहिए।'' आशा कार्यकर्ताओं को भी महसूस हुआ कि जब सब लोग उन्हें मदद करने को तैयार हैं तो क्यों न आरोग्य केन्द्र को नियमानुसार संचालित किया जाए।

लोग जुड़ रहे हैं आरोग्य केन्द्र से

इस तरह आज विकास खण्ड के ज्यादातर आरोग्य केन्द्र अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यहां बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है, दस्त के समय ओ. आर.एस. दिया जाता है और दस्त की बीमारी की रोकथाम के लिए गांव में निगरानी की जाती है। एक खास बात यह है कि आशा कार्यकर्ता टीकाकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। गांव में एएनएम नियमित रूप से टीकाकरण के लिए जाती है। इस दौरान आशा कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं और बच्चों एवं उनकी माताओं को इकठ्ठा करती है। साथ ही वे टीकाकरण से होने वाली स्वास्थ्य रक्षा के बारे में भी महिलाओं से चर्चा करती है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि सघन प्रयास, संवाद और समन्वय के जरिये जटिल समस्याओं का हल भी तलाशा जा सकता है।

आशा ने बचाई मां एवं बच्चे की जान

प्रवीण कुमार तिवारी द्वारा

IrukA आशा कार्यकर्ता का दायित्व स्वास्थ्य सेवा तक लोगों की पहुंच बनाना है, ताकि बीमारी की स्थिति में लोगों को बेहतर इलाज मिल सकें। इसलिए आशा को यह देखना चाहिए कि उसके गांव में महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है? इस संबंध में सतना जिले के जनपद पंचायत अमरपाटन में शामिल गांव खरमसेडा की आशा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने गांव में बीमार रहने वाली गर्भवती महिला को डॉक्टर तक पहुंचाने तथा उसकी व उसके गर्भस्थ शिशु की जान बचाने में सफलता हासिल की। ग्राम खरमसेडा की आबादी 8000 है, जिनमें ज्यादातर जनसंख्या आदिवासी समुदाय की है। गांव में घर दूर–दूर तक फैले होने के कारण सभी घरों में पहुंचना मुश्किल होता है, इसके बावजूद यहां की आशा कार्यकर्ता रतनादेवी

ckdh i`t 8 ij

ग्रामीण स्वच्छता संवाद

निर्मल सीहोर अभियान द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। जनपद पंचायत अध्यक्ष ने मार्च 2015 तक पूरे आष्टा जनपद क्षेत्र को निर्मल बनाने का आव्हान किया।

जनपद को निर्मल बनाने का संकल्प

आष्टा। "बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। इसके लिए यह जरूरी है कि खुले में शौच की प्रवृत्ति को पूरी तरह समाप्त किया जाए। हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना होगा कि मार्च 2015 तक पूरे जनपद क्षेत्र को निर्मल बनाएंगे।" यह बात आष्टा में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में जनपद पंचायत आष्टा के अध्यक्ष श्री धारीवाल ने कही। जून माह में आष्टा के जनपद पंचायत के सभा कक्ष में निर्मल भारत अभियान की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

कार्यशाला के दौरान आष्टा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. विनोद यादव ने कहा कि निर्मल भारत अभियान का क्रियान्वयन न केवल ग्रामीणों एवं समय की मांग है, अपितु यह शासन की प्राथमिकता का भी विषय है। अतः सभी ग्राम पंचायतें इस गंभीर विषय पर समय सीमा में परिणाम मूलक कार्य करें। कार्यशाला में समर्थन संस्था से आशीष विश्वास, परियोजना अधिकारी गणेशसिंह चौहान, आर.बी. चौधरी, एसडीओ एवं सहायक यंत्री उपस्थिति थे। समर्थन के श्री विश्वास ने जिले में निर्मल भारत की गतिविधियों पर प्रक. ाश डालते हुए शौचालय निर्माण एवं उपयोग हेतु वातवरण निर्माण पर जोर दिया। श्री सागर ने प्रधानमंत्री द्वारा गंगा की स्वच्छता से प्रेरणा लेकर व्यक्तिगत् एवं सामुदायिक स्वच्छता अपनाने एवं सम्पूर्ण सीहोर को मार्च 2015 तक निर्मल जिला बनाने की बात कही। सीहोर जिले में निर्मल भारत अभियान की प्रगति एवं आगामी लक्ष्य व रणनीति से जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी श्री गणेश चौहान ने अवगत् कराते हुए निर्मल भारत अभियान से संबंधित प्रश्नों का जवाब दिया। निर्मल भारत अभियान से अभिसरण पर सरपंच व सचिवों की जिज्ञासाओं का समाधान जनपद पंचायत आष्टा के एपीओ श्री अंकुर शर्मा द्वारा किया गया।

इस कार्यशाला में क्षेत्र के सरपंच, सचिव, पीसीओ, उपयंत्री एवं रोजगार सहायक सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री गोविन्द्र शर्मा पंचायत समन्वयक द्वारा किया गया।

सरकार प्रदेश को समग्र स्वाच्छ बनाने हेतु संकल्पित - मंत्री श्री गोपाल भार्गव

भोपाल। मध्यभपदेश सरकार प्रदेश को समग्र स्व च्छ बनाने के लिए संकल्पित है और इसके लिए लगातार कदम उठा रही है। यह बात मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने 7 जुलाई को विधानसभा में एक प्रश्नक के उत्तचर में दी। मंत्री श्री भार्गव ने बताया कि समग्र स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण के उपरांत प्रोत्साहन राशि संबंधित हितग्राही को प्रदाय की जाती है। अभियान की प्रगति बढ़ाने के लिये शासन द्वारा ग्राम पंचायत को क्रियान्वयन एजेंसी बनाया गया है।

उन्होंने बताया कि निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत वर्तमान में शौचालय निर्माण हेतु प्रोत्साहन राशि 4600/- रुपये तथा मनरेगा से 5400/- रुपये तथा हितग्राही का अंशदान 900/- है। प्रोत्साहन राशि हेतु लाभान्वित वर्ग के पात्र हितग्राही में अनुसूचित-जाति बीपीएल/ एपीएल, अनुसूचित-जनजाति बीपीएल/ एपीएल, सामान्य/ अन्य पिछड़े वर्ग के बीपीएल, लघु व सीमांत कृषक, ग्राम पंचायत में निवासरत भूमिहीन परिवार, शारीरिक रूप से निश्क्त एवं परिवार का मुखिया यदि महिला हो, शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय भवन में संचालित आँगनवाड़ी या बालवाड़ी के लिये 8000 रुपये तक की इकाई लागत वाला बच्चों के अनुकूल शौचालय बनाया जा सकता है। श्री भार्गव ने बताया कि विद्यालय में बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक् शाला शौचालय का निर्माण किया जाता है। शाला शौचालय की एक यूनिट के लिये 35000 रुपये का प्रावधान है।

सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्मल भारत अभियान से 1.80 हजार रुपये समुदाय/ग्राम पंचायत का अंश 20000 रुपये है। ग्राम पंचायतों से माँग बढ़ाने हेतु तथा समुदाय को खुले में शौच को बंद कर पारिवारिक शौचालय निर्माण एवं उपयोग करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। समुदाय में व्यवहार परिवर्तन लाकर जिले को खुले में शौच से मुक्त किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। शासन द्वारा प्रत्येक जिले से एक विकासखण्ड तथा एक अन्य जनपदों में से पाँच-पाँच ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त किये जाने की कार्य-योजना है।

निर्मल सीहोर अभियानः

राजमिस्त्री की भागीदारी महत्वपूर्ण

foukn d 'kek }kjk

bNkojA किसी भी निर्माण कार्य में राजमिस्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उन्हीं की कारीगरी और मेहनत से कोई भवन तैयार होता है। राजमिस्त्री लोगों से भी सघन रूप से जुड़े होते हैं और निर्माण कार्य के बारे में लोग उनकी सलाह को मानते हैं। यही कारण है कि निर्मल सीहोर अभियान में राजमिस्त्री को भी शामिल किया गया। इसमें राजमिस्त्री के शामिल होने से उनमें बेहतर शौचालय बनाने का कौशल विकसित हुआ, वहीं वे लोगों में शौचालय निर्माण के लिए भी प्रेरित करते हैं।

निर्मल सीहोर अभियान से राजमिस्त्रियों के जुड़ाव को मजबूत बनाने तथा उनमें गड्डे वाले सस्ते शौचालय निर्माण का कौशल विकसित करने के लिए अभियान के अंतर्गत खेरी गांव में दो दिवसीय राजमिस्त्री कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में आसपास के क्षेत्र में 26 राजमिस्त्रियों ने भाग लिया। कार्यशाला में शौचालय की जरूरत और स्वच्छता के महत्व पर चर्चा हुई, साथ ही गड्डे वाले शौचालय का निर्माण भी अभ्यास के माध्यम से किया गया। कार्यशाला में शामिल राजमिस्त्रियों ने संकल्प लिया कि वे खुले में शौच की प्रवृत्ति को समाप्त करने तथा हर घर शौचालय निर्माण के संदेश को गांव-गांव में प्रसा. रित करेंगे। इस दौरान कई राजमिस्त्रियों ने अपने घर पर भी शौचालय बनाने का संकल्प लिया।

Ek[;e=h dU;k fookg ,o fudkg ;ktuk e fuely lhgkj vfHk;ku dk lns'k i lkfjrA 162 tkMk dk fn;k LoPNrk lh[k dk migkjA

घर-घर पहुंचा स्वच्छता संदेश

'kf'k }kjk

Ukl:YykxtA उपहार सिर्फ वस्तु के रूप में ही नहीं, बल्कि ऐसी सीख के रूप में भी दिया जा सकता है, जो जीवन भर काम आए। मई माह में सीहोर जिले में आयोजित "मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना" के अंतर्गत वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाले 162 जोड़ो को निर्मल सीहोर अभियान द्वारा यही महत्वपूर्ण उपहार दिया गया। विवाह कार्यक्रम के दौरान उन्हें स्वच्छता अपनाने तथा खुले में शौच से मुक्ति पाने का संदेश दिया गया। यदि वे इस संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं तो यह सीख उनके जीवन का सबसे अमूल्य उपहार होगी। क्योंकि इससे वे बीमारियों से सुरक्षित होकर अपने जीवन को खुशहाल बना सकेंगे।

इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिव. राजसिंह चौहान भी उपस्थित थे। समर्थन संस्था द्वारा आयोजित सामुहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान सभी 162 नव विवहित जोड़ो को "निर्मल सीहोर अभियान" द्वारा एक स्वच्छता किट दी गई, जिसमें पानी निकालने का डंका (डंडी वाला गिलास), हाथ धोने का साबुन और स्वच्छता संदेश शामिल थे।

इस कार्यक्रम में निर्मल सीहोर अभियान की नसरूल्लागंज टीम ने 162 परिवारो के 1000 से अधिक सदस्यों तक स्वच्छता सामग्री एवं 324 परिवारों के करीब 2000 सदस्यों तक स्वच्छता का संदेश प्रसारित किया। इस दौरान समर्थन संस्था द्वारा निर्मल सीहोर अभियान की गतिविधियों की जानकारी भी मंच से प्रसारित की गई।

खाद्य सुरक्षा का
स्वच्छता से गहरा जुड़ाव है

आतिश पटेल

भारत में पिछले साल खादय सुरक्षा कानून के साथ ही सबसे बड़े खाद्य सब्सिडी कार्यक्रम को शुरूआत हो चुकी है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि जब तक स्वच्छता में सुधार हेतु बड़े कदम नहीं उठाए जाएंगे, वो इस दिशा में असफल रहेगा।

सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया है। इस कानून के पारित होने के बाद सरकार देश के 70 प्रतिशत लोगों को बहुत कम दामों में चावल, गेहूं और दूसरे अनाज बेचेगी। किन्तु कई स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि साफ-सफाई के अभाव में खादय सुरक्षा के कोई मायने नहीं है। भारत में शौचालयों के अभाव का अर्थ है कि भारत में लाखों लोग खुले में शौच करते हैं। परिणामस्वरूप, बच्चों पर जीवाणु संक्रमण और परजीवियों का खतरा बढ़ जाता है, जो छोटी आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है और बढ़ने, विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रास करने की क्षमता कम अथवा रुक जाती है, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कितना भोजन खाया है।

भारत में 61.7 मिलियन बच्चे नाटे हैं, जो दुनियाभर में सबसे ज्यादा है। सरकारी अनुमान के मुताबिक पांच वर्ष से कम आयु के करीब 20 फीसदी बच्चे अपने कद के हिसाब से कमज़ोर अथवा काफी पतले हैं। इकॉनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली में एक हालिया पेपर में यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ सूसेक्स और यूनिसेफ के ग्रेगोर वॉन मेडीज़ा ने कहा कि स्वच्छता और कम पोषण के बीच संबंध को व्यापक तौर पर अनदेखा किया जाता है, उन्होंने इसे 'अंधा बिन्दु' कहा। वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के जठरांत्र विज्ञान विभाग में प्रोफेसर गगनदीप कांग, बिल और मलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा वित्त-पोषित अध्ययन में शामिल हैं। ये अध्ययन इस बात पर फोकस करता है कि रोगाणु बच्चों की अंतड़ियों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, जो फलतः कुपोषण की तरफ ले जाता है। आप ये दलील नहीं दे सकते कि अकेले स्वच्छता से लोग कुपोषित नहीं होगें। ना ही अकेले भोजन से प्रत्येक बच्चे का समुचित विकास हो सकता है। दोनों का मिश्रण ज़रूरी है।

दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स के एक अतिथि प्रोफेसर डीन स्पीयर्स के शोध के मुताबिक जिन भारतीय ज़िलों में शौचालय हैं, वहां बौने बच्चों की संख्या कम है। बेहतर सफाई का अर्थ हुआ, प्रति 1000 में शिशु मृत्यु दर का चार कम होना और बच्चों का कद बढ़ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के कुपोषित होने की मुख्य वजह दस्त है। इनमें एक चौथाई मौतें भारत में होती हैं।

खास बातें

- भारत में लाखों लोग खुले में शौच करते हैं। परिणामस्वरूप, बच्चों पर जीवाणु संक्रमण और परजीवियों का खतरा बढ़ जाता है, जो छोटी आंतों को नुकसान पहुंचा सकता है और बढ़ने, विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रास करने की क्षमता कम अथवा रुक जाती है।
- भारत में पांच वर्ष से कम आयु के करीब 20 फीसदी बच्चे अपने कद के हिसाब से कमज़ोर अथवा काफी पतले हैं।
- यह नहीं कि अकेले स्वच्छता से लोग कुपोषित नहीं होगें और ना ही अकेले भोजन से प्रत्येक बच्चे का समुचित विकास हो सकता है बल्कि स्व चछता और भोजन दोनों का मिश्रण ज़रूरी है।
- बेहतर सफाई का अर्थ है, प्रति 1000 में शिशु मृत्यु दर का चार कम होना और बच्चों का कद बढ़ना।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों के कुपोषित होने की मुख्य वजह दस्त है। विश्व में प्रत्येक साल इस उम्र वर्ग के 800,000 से ज्यादा बच्चों की दस्त से मृत्यु होती है, जिनमें एक चौथाई मौतें भारत में होती हैं।

स्वच्छता समाचार

निर्मल भारत निर्माण के लिये वातावरण बनाना होगा

भोपाल : प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत बहुसंख्यक आबादी के सामान्य जीवन-स्तर में सुधार लाने, पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोकने के लिये ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता है। इस संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन और एम.पी. टास्ट के तत्वावधान में किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ अपर मुख्य सचिव श्रीमती अरुणा शर्मा ने किया।

श्रीमती शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में माताओं एवं बहनों को खुले में शौच की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। उनके मान-सम्मान एवं स्वाभिमान को भी ठेस पहुँचती है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त करवाने की दिशा में मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्मल भारत अभियान को मर्यादा रणनीति के साथ शुरू किया गया है। इस अभियान के क्रियान्वयन के लिये अनुकूल वातावरण बनाना होगा। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा पारिवारिक शौचालय निर्माण एवं उसके उपयोग के लिये पात्रतानुसार प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा-करकट एवं गंदे पानी की निकासी के लिये भी कार्य प्रारंभ किये गये हैं।

श्रीमती शर्मा ने कहा कि स्वच्छता के अभाव में डायरिया, मलेरिया, डेंगू इत्यादि रोग फैलते हैं। छोटे बच्चे स्वच्छता के अभाव में पेट के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा शौचालय के अभाव में विशेषकर महिलाओं को सबसे अधिक कठिनाई होती है। निर्मल भारत अभियान एक माँग आधारित एवं समुदाय पर केन्द्रित अभियान है। अभियान में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन-स्तर को बेहतर बनाने के लिये स्वच्छता संबंधी कार्य किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच के उन्मूलन के लिये व्यवहार में परिवर्तन लाकर आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा सके, इसके लिये समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में ग्रामीणजन, पंचायत के पंच, सरपंच, अधिकारी एवं मैदानी कार्यकर्ताओं का सहयोग आवश्यक है।

कार्यशाला में श्री सुमित गौतम कार्यक्रम अधिकारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट मेनेजमेंट द्वारा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रेजेन्टेशन दिया गया। इसके बाद श्री पोपटराव पवार ग्राम प्रधान हिवरे बाजार (महाराष्ट्र) द्वारा बाजार केस स्टडी का प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस अवसर पर श्री संजीव कुमार झा, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं डॉ. रवीन्द्र पस्तोर आयुक्त महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद उपस्थित थे।

खुले में शौच करने पर मिलेगी सजा

gjnkA जिले की हंडिया तहसील की ग्राम पंचायत भुन्नास के लोगों ने फैसला लिया है कि जो भी व्यक्ति खुले में शौच करेगा, उस पर सौ रूपए जुर्माना लगाया जाएगा। ग्रामवासियों का कहना है कि खुले में शौच के कारण गांव में लोगों को बहुत परेशानी होती है।

गांव में गंदगी और बीमारी फैलती है। इसलिए जिन लोगों के घरों में शौचालय नहीं हैं उन्हें अपने घर पर जल्दी से शौचालय बनवाने चाहिए। ग्रामवासियों की इसी मांग पर पंचायत ने खुले में शौच करने वाले लोगों से सजा के तौर पर जुर्माना वसूलने का फैसला लिया है। इस फैसले को लागू करने के लिए पंचायत ने कोटवार सहित 6 लोगों की एक निगरानी समिति गठित की है। यह समिति सुबह–शाम खुले में शौच करने वालों की निगरानी करती है।

ग्राम भुन्नास की जनसंख्या 2630 है। यहां 323 घर हैं। इनमें से 273 घरों में शौचालय पहले से ही बने थे। बाकी घरों में शौचालय बनाने का काम शुरू किया गया, जो अब तक पूरा हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि हर घर शौचालय की सुविधा के बाद अब कोई भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं जाएगा।

ग्राम पंचायत भुन्नास खुले में शौच मुक्त पंचायत बन गई है। यह स्थिति बनाए रखने और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए पंचायत ने निगरानी समिति गठित करने के साथ ही जुर्माने का प्रावधान भी किया है।

& euh"k 0;kl] सचिव, ग्राम पंचायत भुन्नास,

पंचायत चुनाव की समझ

पंचायत में आरक्षणः क्या, क्यों और कैसे?

पंचायत राज की सबसे बड़ी विशेषता है समाज के वंचित तबकों तथा महिलाओं की सत्ता में भागीदारी। सदियों से सत्ता और विकास के अवसरों से वंचित रहे समुदायों एवं महिलाओं को इसके माध्यम से पंचायत की सत्ता संभालने का अवसर मिला। पंचायतों के प्रत्येक स्तर एवं सभी पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण प्राप्त है, वहीं सभी वर्गों में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए है। पंचायत चुनाव के संदर्भ में आरक्षण की इस प्रक्रिया को जानना जरूरी है।

मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायत के पंच से लेकर सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य सहित सभी पंचायत प्रतिनिधियों की कुल संख्या का आकलन करें तो पाते हैं कि यहां कुल 3.93.791 पंचायत प्रतिनिधि कार्यरत् है, जिनमें पंचों की संख्या 3,63,337, सरप. ंचों की संख्या 22795, जनपद सदस्यों की संख्या 6816 और जिला पंचायत सदस्यों की संख्या 843 है। इन पदों में समाज के वंचित तबकों के आरक्षण के कारण प्रदेश में कुल पंचायत प्रति. निधियों में 16 प्रतिशत पंचायत प्रति. निधि अनुसूचित जाति के, 28 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 18 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के और 38 प्रतिशत पंचायत प्रतिनिधि अनारक्षित वर्ग के हैं। इन सभी पदों में पचास प्रतिशत पदों पर महिलाएं काबिज है। किन्तु एक खास बात यह है कि जिला पंचायत सदस्य के पद पर 57 प्रतिशत महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही है। इससे यह बात सामने आती है कि महिलाओं ने उन पदों पर भी चुनाव लड़ा जो उनके लिए आरक्षित नहीं थे, यह पंचायत में महिलाओं की भागीदारी की दिशा में महत्वपूर्ण संकेत है।

यह स्पष्ट है कि पंचायतों में पदों के आरक्षण की प्रक्रिया सरकार द्वारा संचालित की जाती है, जबकि चुनाव सम्पन्न करवाने का कार्य मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। चुनाव की घोषणा से पहले राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर आरक्षित पदों व स्थानों की सूची राज्य निर्वाचन आयोग को सौप दी जाती है, जिसके आधार पर आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया शुरू की जाती है।

मध्यप्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव के संदर्भ में यह जानना जरूरी है कि आरक्षण की गिनती किस तरह की जाती है? किसी ग्राम पंचायत में कितने पद किस वर्ग के लिए आरक्षित होंगे, यह कैसे तय होता है? सरपंच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के आरक्षित पदों की संख्या भी कैसे तय होती है? यह जानना जरूरी है।

dls gkrk g vkj{k.k\

आरक्षण के लिए अलग–अलग पद के अनुसार अलग अलग इकाई तय की गई है। पंच पद के लिए ग्राम पंचायत को इकाई माना है। इसके अनुसार किसी ग्राम पंचायत में जितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति की है, उस ग्राम पंचायत के उतने प्रतिशत वार्डपंच के पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे। इसी तरह अनुसूचित जनजाति के वार्ड पंच के पद उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होंगे। जबकि सरपंच पद के लिए इकाई जनपद पंचायत को माना गया है। जनपद क्षेत्र में जितनी जनसंख्या अनुसूचित जाति एवं जनजाति की है, उतने प्रतिशत सरपंच के पद उस वर्ग के लिए आरक्षित होंगे। इसी तरह जनपद सदस्य के लिए भी इकाई जनपद पंचायत को माना गया है। जनपद क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजा. ति की जनसंख्या के अनुपात में सदस्य के पद आरक्षित होंगे। जिला पंचायत सदस्य के पद भी जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजा. ति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित होंगे।

यदि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित पदों की कुल संख्या का योग 50 प्रतिशत से कम है तो 25 प्रतिशत पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगे, अन्यथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा। सभी वर्गों के पदों में से 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

अब सवाल यह है कि कौन सा पद किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा? इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि जिस वार्ड में जो समुदाय निवास करता है, उसका वार्ड पंच उस समुदाय के लिए आरक्षित हो, बल्कि यह लाट्री द्वारा निकाला जाएगा और कोई भी वार्ड किसी भी समुदाय के लिए आरक्षित हो सकता है। सरंपच, जनपद सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य सहित सभी पदों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है।

dku dgk l puko yM ldr g\

यह स्पष्ट है कि जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उन पर उसी वर्ग के व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। किन्तु इसमें और भी स्पष्टता की जरूरत है। उदाहरण के लिए यदि कोई पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं तो उस पर अनुसूचित जाति की महिला और पुरूष दोनों चुनाव लड़ सकते है। किन्तु जो पद अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित हैं उस पर अनुसूचित जाति की महिला ही चुनाव लड़ सकती हैं। इसी तरह जो पद अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं, उन पर इन समुदायों के महिला या पुरूष कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, किन्तु इन वर्गो के महिला आरक्षित पद पर सिर्फ इन वर्गो की महिलाएं ही चुनाव लड़ सकती हैं।

lk.k vukjf{kr lhV ij dkb Hkh yM ldr g puko

एक खास बात यह है कि जो सीट किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है, उसे बोलचाल की भाषा में ''सामान्य सीट'' कहा जाता है। किन्तु यह सिर्फ सामान्य या अनारक्षित वर्ग के लिए ही नहीं है, बल्कि इस पर किसी भी जाति समुदाय के व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। इस सीट को सामान्य सीट के बजाय अनारक्षित सीट कहा जाना चाहिए। यह सीट भी दो प्रकार की होती है, एक पूर्ण अनारक्षित सीट और दूसरी अनारक्षित महिला सीट। पूर्ण अनारक्षित सीट पर किसी भी समुदाय की महिला व पुरुष चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि अनारक्षित महिला सीट पर किसी भी समुदाय की महिला चुनाव लड़ सकती हैं।

dkb Hkh lhV i:"k lhV ugh

जो सीट महिला के लिए आरक्षित नहीं है, उसे कई लोग ''पुरूष सीट'' कहते हैं, जबकि यह शब्द सही नहीं है। इससे यह भ्रम फैलता है कि इस सीट पर महिला खड़ी नहीं हो सकती। जबकि सच बात यह है कि इस सीट पर महिला चुनाव लड़ सकती है। पंचायत चुनाव के दौरान इस भ्रामक शब्दावली से बचने की जरूरत है तथा लोगों में यह संद. ेश प्रसारित करने की जरूरत है कि कोई भी सीट पुरूष सीट नहीं है, बल्कि महिला भी उस सीट से चुनाव लड़ सकती है।

Hkkjr d lfo/kku d vuPNn 243 ¼?k½ d vulkj

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उस पंचायत क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए गए हैं।
- कुल स्थानों में कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे (अब महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है।)
- ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
- यदि राज्य विधान मंडल चाहे तो पिछड़े वर्ग के पक्ष में भी स्थानों का आरक्षण किया जा सकेगा। (मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार यदि किसी पंचायत में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल मिलाकर 50 प्रतिशत या उससे कम स्थान आरक्षित किए गए हैं तो उसमें कुल स्थानों की संख्या के 25 प्रतिशत स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे।)
- आरक्षित स्थानों के भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जाने की व्यवस्था की गई है।

eujsxk % मजदूरी भुगतान का नया तरीका–1

कैसे मिलेगी मजदूरी?

lat; jktiwr
संकाय सदस्य, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण
विकास संस्थान, जबलपुर (मध्यप्रदेश)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) में देरी से मजदूरी मिलने की समस्या लम्बे समय से रहती आई है। भारत सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों में इस समस्या को हल करने की कोशिश की गई है। इसके अंतर्गत मजदूरी भुगतान की नई व्यवस्था बनाई गई है, जिसे "इलैक्ट्रानिक फण्ड मैनेजमेंट सिस्टम (ईएफएमएस) कहा जाता है। इस व्यवस्था में मजदूरों के खाते में सीधे पैसे जमा किए जाते हैं। इस व्यवस्था की पूरी जानकारी हम पंचम में क्रमबद्ध प्रकाशित कर रहे हैं। यहां प्रस्तुत है मजदूरी भुगतान के नए तरीके का पहला हिस्सा। इसका अगला हिस्सा अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा।

ई–एफएमएस योजना में जिला स्तर पर मनरेगा का एक ही खाता होगा, जिसे ई–एफ.एम.एस. खाता माना जायेगा। एनआरईजीए साफ्टवेयर के माध्यम से मस्टररोल पर दर्ज मूल्यांकन के आधार पर मजदूरों तथा सामग्री खरीदने की स्थिति में विक्रेताओं को ई–एफ.एम.एस. खाते के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाएगा। इसलिए अब मनरेगा में हर पंचायत के अलग बैंक खाते की जरूरत नहीं है। यानी अब ग्राम पंचायत में मनरेगा का खाता नहीं होगा, बल्कि जिला स्तर पर एक ही खाता होगा, जिससे पूरे जिले में राशि का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाएगा।

foRrh; izca/ku

जैसा कि स्पष्ट है, इस योजना से क्रियान्वयन एजेंसियों तथा ग्राम पंचायतों को अलग से खाते रखने की आवश्यकता नहीं होगी। अतः ग्राम पंचायत/एजेंसी को अनुपयोगी राशि होने की स्थिति अथवा राशि की कमी की स्थिति से छुटकारा मिल सकेगा तथा जिला स्तर पर जिले को आवश्यकतानुसार पर्याप्त राशि राज्य द्वारा सीधे टॉपअप की जा सकेगी। इसे अतिरिक्त राशि प्राप्त करने में होने वाली असुविधा तथा बैंक क्लियरेंस में लगने वाले समय को समाप्त किया जा सकेगा। एनआरईजीए सॉफ्टवेयर में भुगतान से पूर्व मस्टररोल फीड करना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक से कोई एम.आई.एस. सिस्टम नहीं होगा।

dSls gksxk etnwjksa dk [kkrk ikl\

मस्टर रोल के आधार पर एनआरईजीए सॉफ्टवेयर द्वारा मजदूरों की भुगतान सूची तैयार की जायेगी। उक्त सूची में मजदूरों के बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस खाते की जानकारी सत्यापित एवं सही होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः खातों का सत्यापन उपरान्त फ्रीज करके यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि उक्त खाते सही हैं एवं इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

यदि एक बार मजदूरों के बैंक खाते सत्यापित करने के उपरांत फ्रीज कर दिये जाएं तो उसमें बदलाव संभव नहीं है। यदि बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में यदि कोई त्रुटि है तो मजदूरी का प्रथम इलेक्ट्रानिक भुगतान होने से पूर्व तक जनपद तथा जिले द्वारा अनुरोध भेजने पर राज्य स्तर पर उक्त खाते को अनफ्रीज कर दिया जायेगा। फ्रीज खाते में त्रुटि सुधार केवल प्रथम इलेक्ट्रानिक भुगतान आदेश जारी होने से पूर्व तक राज्य स्तर से सुधार किया जा सकता है। यदि प्रथम इलेक्ट्रानिक आदेश उक्त मजदूर के नाम से जारी हो चुका है तो मजदूर के फ्रीज किये गये खाते में बदलाव राज्य स्तर से नहीं हो सकता है। मजदूरों का खाता अन्य बैंक में खुलने पर पूर्व खाते को हटाये जाने के संबंध में ध्यान रखना होगा कि, यदि प्रथम इलेक्ट्रानिक आदेश जारी हो गया है एवं खाता क्रियाशील है तो ऐसी स्थिति में बीच में खाते में बदलाव नहीं हो सकेगा। खाते फ्रीज होने के बाद जॉबकार्डधारी परिवारों के सदस्यों/मजदूरों के नए खाते जोड़ने की प्रक्रिया के संबंध में उल्लेखनीय है कि, यदि परिवार के सदस्यों का नया खाता खोला जाता है तो उसे एनआईजीए सॉफ्टवेयर के माध्यम से जोड़ा जा सकेगा।

etnwjksa ds cSad [kkrs dk lR;kiu

मजदूरों के बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस खाते सत्यापित करना प्रथम स्तर पर ग्राम पंचायत के सचिव की जिम्मेदारी होगी तथा द्वितीय स्तर पर संबंधित बैंक की तथा तृतीय स्तर पर जनपद पंचायत की जिम्मेदारी होगी। मजदूरों के बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस खाते की जानकारी सत्यापित करने के लिये सर्वप्रथम एनआरईजीए पोर्टल से मजदूरों की खातों की जानकारी डाउनलोड करनी होगी, जिसका प्रिंटआउट प्राप्त कर ग्राम पंचायतों को सौंपा जायेगा। ग्राम पंचायतों द्वारा रिकार्ड मिलान कर बैंकों से सत्यापित कराके जनपद पंचायतों को सौंपेंगे। जनपद पंचायतों द्वारा सत्यापन कर मजदूरों के खाते एनआरईजीए डाटाबेस में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से अद्यतन करने उपरांत मजदूरों के खातों को फ्रीज किया जायेगा। मजदूरों के खातों की जानकारी को प्रत्येक मस्टररोल अथवा भुगतान सूची पर दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। एनआरईजीए डाटाबेस में मजदूरों के खाते सत्यापित करने के उपरांत उन्हें फ्रीज किया जायेगा। मजदूरों के खातों की जानकारी भुगतान सूची में सॉफ्टवेयर के द्वारा डाटाबेस से प्राप्त की जाएगी।

---

jkstxkj ekaxks vfHk;ku ,oa yksd dY;k.k f'kfoj

iUukA जिले में आयोजित रोजगार मांगों अभियान एवं लोक कल्याण शिविर में 26 ग्राम पंचायतों के लोगों ने हिस्सेदारी करते हुए विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। उल्लेखनीय है कि कई लोग पात्र होने के बावजूद सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो जाते है। क्योंकि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उन्हें आवेदन कहां देने हैं। जिन्हें जानकारी है, उन्हें भी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए भटकना पड़ता है। अतः लोक कल्याण शिविर ऐसा माध्यम है, जहां लोग आसानी से अपनी बात रख सकते हैं एवं आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

फरवरी माह में पन्ना जिले में आयोजित लोक कल्याण शिविर में समर्थन के कार्यकर्ताओं ने अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने का प्रयास किया। इस दौरान 11 ग्राम पंचायतों के 313 लोगों ने मनरेगा के अंतर्गत रोजगार की मांग के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। शिविर के दौरान 26 ग्राम पंचायतों के कुल 2789 लोगों द्वारा अपने आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें 74 प्रतिशत आवेदन बीपीएल कार्ड से संबंधित थे, जबकि 13 प्रतिशत आवेदन रोजगार की मांग के लिए, 11 प्रतिशत शौचालय निर्माण एवं परिवार सहायता के तथा 2 प्रतिशत आवेदन मुख्यमंत्री आवास योजना के थे।

समग्र पोर्टल में दर्ज हो रहा है सभी का विवरण

समग्र पोर्टल में दर्ज परिवारों और उनके सदस्यों को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ समग्र पहचान पत्र के माध्यम से आसानी से मिलेगा।

प्रदेश में निवासरत समस्त परिवारों तथा परिवार के सदस्यों का पंजीयन कर उनका विवरण समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के समग्र पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है। समग्र पोर्टल पर दर्ज विवरण ऑनलाइन उपलब्ध है। समग्र पोर्टल पर दर्ज परिवारों और उनके सदस्यों को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ अब समग्र पहचान पत्र के माध्यम से आसानी से मिल सकेगा। प्रदेश में समाज के कमजोर तबकों, निराश्रित और निर्धन व्यक्तियों, वृद्ध तथा निशक्तजन, बालिकाओं, विधवाओं और परित्यक्ता महिलाओं, उन पर आश्रित बच्चों एवं बीमार सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा लाभ सुगमता से दिलाने के लिये यह पोर्टल तैयार किया गया है। पोर्टल पर दर्ज जानकारियों का सत्यापन करने के साथ ही समस्त परिवार और परिवार के सदस्यों को पृथक–पृथक समग्र आई.डी. (पहचान पत्र) प्रदान करने की कार्यवाही समय–सीमा में करने की पहल की गई है। प्रथम चरण में हितग्राहियों को दी जाने वाली पेंशन, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, विवाह सहायता राशि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ समग्र पोर्टल के माध्यम से मुहैया करवाने का काम शुरू हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जाति प्रमाण–पत्र, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र, छात्रवृत्तियाँ, शिक्षा प्रोत्साहन राशि, विवाह सहायता राशि, बीमा एवं पेंशन योजना तथा अंत्येष्टि सहायता का लाभ भी अब समग्र के माध्यम से हितग्राहियों को मिलेगा।

मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन द्वारा शासकीय कल्याणकारी कार्यक्रमों और सेवाओं का लाभ हितग्राहियों को पहुँचाने के मकसद से ग्रामीण और शहरी निकायों द्वारा समग्र पोर्टल पर दर्ज जानकारियों के सत्यापन की मुहिम शुरू की गई है। समग्र पोर्टल पर दर्ज जानकारियों के सत्यापन और नवीन पंजीयन के लिये हितग्राहियों को जरूरी प्रमाण–पत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायत कार्यालयों और शहरी क्षेत्रों में नगर पालिक निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत कार्यालयों पर संपर्क करना होगा। यहाँ हितग्राहियों के जन्म, जाति, निशक्तता, श्रमिक संवर्ग के सदस्य होने संबंधी और बीपीएल तथा अंत्योदय परिवार प्रमाण–पत्र का सत्यापन कर सभी सत्यापित जानकारियाँ समग्र पोर्टल पर दर्ज की जा रही हैं। सत्यापित विवरण के आधार पर ही मध्यप्रदेश के निवासी परिवारों और उनके सदस्यों को समग्र पहचान पत्र जारी होंगे।

पंचम्

36, ग्रीन एवेन्यू चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)

सदस्य का नाम ____________________

वर्तमान पद ____________________

ग्राम पंचायत का नाम ____________________

ग्राम ____________________

पोस्ट ____________________

तहसील ____________________

जिला ____________________

राज्य ____________________

सदस्यता राशि का ब्यौरा

◆वार्षिक-80 रु. ◆द्विवार्षिक-150 रु. ◆त्रिवार्षिक-200 रु.
◆पंचवार्षिय-400 रु. ◆ आजीवन-5000 रु.

कृपया हमारी ग्राम पंचायत/पुस्तकालय/मुझे पंचायतों एवं ग्रामीण विकास का प्रमुख समाचार पत्र पंचम् की सदस्यता प्रदान कर नियमित रूप से उक्त पते पर भेजने की कृपा करें। सदस्यता राशि नगद/मनी आर्डर/चेक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा राशि रुपये (अंकों में) ....
(शब्दो में)..
.... दिनांक .... संलग्न है।
पावती भेजने की व्यवस्था करें। हस्ताक्षर
स्थानः .... नाम एवं पता
दिनांक ....

आपकी पंचायत से संबंधित लेख, रिपोर्ट और खबरें आमंत्रित

'पंचम' पंचायती राज जन-प्रतिनिधियों का अपना समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र में मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज से जुड़ी समस्याएं, सुझाव, प्रमुख योजनाओं एवं ग्राम विकास से संबंधित प्रमुख जानकारियों के साथ पंचायती राज के सशक्तिकरण करने कि दिशा में जन-प्रतिनिधियों की भूमिका, जिम्मेदारी, चुनौतियां, उनके द्वारा किये गये प्रयासो को प्रमुखता से प्रकाशित की जाती है ताकि सामुदायिक विकास कार्यो में सहभागी निर्णय प्रक्रिया के द्वारा शासन-प्रशासन में पारदर्शीता एवं जबाबदेही सुनिश्चित किया जा सके। आप भी अपने कार्य क्षेत्र में जन प्रतिनिधियों को अपने विचार रखने/लिखने के लिये प्रेरित कर सकते हैं अथवा उनसे बातचीत के आधार पर आप स्वंय लिख कर माह के 5 तारीख तक फेटोग्राफ के साथ हमें आवश्य भेज दे ताकि समुचित स्थान मिल सके।

आपके सवाल व समाधान

पिछले 16 सालों से यह अनुभाव हुआ है कि प्रदेश की पंचायत और प्रतिनिधियों से जुड़ी कई कठनाईयों होती हैं जिसका समाधान स्थानीय स्तर पर नही हो पा रहा है अपने अधिकारों की एवं शासकीय आदेश निर्देश की जानकारी सुलभ नही हो पाती है। जिसके कारण आम आदमी से लेकर पंचायत तक दर-दर भटकना पड़ता है। इस समस्या का हल खोजने के पंचम आपके सवाल व समाधान के नाम से एक साझा मंच आपके सामने प्रस्तुत रहा है। जिसमें आप अपने सवाल हमें निर्धारित प्रारूप में भेज सकते हैं। जिसके जवाब हम संबंधित विभाग के अधिकारी से पूछेंगे और उनके जवाबों को अगले अंको में प्रकाशित करते रहेंगे। आपसे अपेक्षा है कि आगे बढ़कर सुशासन को प्रभावी बनाने के इस साझे मंच का उपयोग करेंगे।
आपके....???

सवाल व समाधान

नाम..
.... ग्राम पंचायत का नाम ....
जनपद पंचायत .... जिला ....

अपना सवाल जवाब इस पते पर भेजें-
36, ग्रीन एवेन्यू चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.)

ifj.kke vkj vlj

प्रवासी मजदूरों को मिली रुकी हुई मजदूरी

जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत एवं समर्थन के साझा प्रयास से प्रवासी श्रमिकों को मिला न्याय

jkgy fuxe }kjk

पन्ना। जिले में रोजगार के अभाव में कई लोग दूर शहरों में काम की तलाश में जाते हैं, जहां वे ठेकेदारों और दलालों के चक्कर में पड़ जाते हैं। उन्हें काम तो मिल जाता है, किन्तु न तो समय पर मजदूरी मिलती और न ही कार्यस्थल पर कोई सुविधा। कई बार उन्हें अपनी मजदूरी से भी हाथ धोना पड़ता है।

इसी तरह की घटना पन्ना जिले के ग्राम तिलगवां के श्रमिकों के साथ घटित हुई। पन्ना जिले में समर्थन संस्था द्वारा प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सूचना केन्द्र स्थापित किया गया और ग्राम पंचायत एवं प्रशासन के साथ मिलकर श्रमिकों को उनका हक दिलवाने का प्रयास किया जाता है।

तिलगवां गांव के 8 मजदूरों ने बताया कि उन्होंने दिसम्बर 2013 से फरवरी 2014 के बीच ठेकेदार व दलाल के माध्यम से निजामुद्दीन नईदिल्ली में बीएसएफ कैंप सुधार कार्य ठेकेदार और दलाल के माध्यम से किया। काम पूरा होने के बाद ठेकेदार ने उनकी मजदूरी नहीं दी। कई दिनों तक मजदूरी का इंतजार करने पर जब उन्हें मजदूरी नहीं मिली तो वे वापस गांव आ गए। मजदूरों ने इस घटना की जानकारी समर्थन के कार्यकर्ताओं को दी।

कुछ दिनों बाद वही दलाल काम के लिए मजदूरों को लेने आया तो समर्थन के कार्यकर्ताओं ने मजदूरों को सलाह दी वे वह इसकी सूचना जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं सरपंच को दें। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने श्रम अधिकारी को तिलगवां गांव पहुंचकर श्रमिकों की मजदूरी दिलवाने का निर्देश दिया।

श्रम अधिकारी, सरपंच एवं समर्थन के कार्यकर्ताओं तथा श्रमिकों ने दलाल से मजदूरी भुगतान की बात की तो उसने कहा कि लोग काम पर जांएगे तो मजदूरी मिलेगी, अन्यथा नहीं। इस पर श्रम पदाधिकारी और सरपंच ने दलाल एवं ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की बात की। सरपंच ने दलाल से कहा कि पुलिस थाने में आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाकर श्रम न्यायालय में प्रकरण चलाया जाएगा। सरपंच एवं लोगों के इस रवैये को देखकर दलाल ने मजदूरों को पैसा लौटाने की बात की। सरपंच ने उसका पूरा विवरण लिखा और एक सप्ताह में मजदूरी नहीं मिलने पर कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी दी। इसके फलस्वरूप दलाल ने वापस पहुंचते की बैंक खाते में मजदूरी की राशि जमा करवा दी गई। इस तरह मजदूरों को अपने हक की मजदूरी हासिल करने में सफलता मिली।

आशा ने बचाई...

i;t 3 l; tkjh

प्राप्त रतनादेवी जब आशा कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त हुई तो उन्होंने इस स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। कुछ ही दिनों में जब उन्होंने गांव का भ्रमण किया तो पाया कि एक गर्भवती महिला बहुत ज्यादा बीमार रहती है और परिवार के लोग भी उसके इलाज पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आशा ने देखा कि गर्भ में उसके शिशु की वृद्धि भी पर्याप्त नहीं हो रही है। इस दशा में आशा खुद पहल करके उसे स्वास्थ्य केन्द्र ले गई। वहां उपस्थित स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने उसकी जांच की और बताया कि महिला को खून की कमी है, जिसके कारण बच्चे की वृद्धि नहीं हो रही है। उसका इलाज तुरन्त शुरू किया गया। इसका असर हते भर में दिखाई देने लगा। इलाज के बाद महिला ने स्वस्थ्य बच्चे को जन्म दिया। इस तरह आशा कार्यकर्ता रतना देवी ने मां और बच्चे की जान बचाई। अब यह बात धीरे-धीरे गांव में फैलने लगी और लोग स्वास्थ्य तथा इलाज के प्रति जागरूक होने लगे।

घर-घर जाकर सम्पर्क करती है और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जानकारी लेती है। इस गांव में पहले चिकित्सा सुविधा की स्थित अच्छी नहीं थीं। गांव के नजदीक कोई स्वास्थ्य केन्द्र नहीं था तथा ज्यादातर लोग बीमारी की स्थिति में झाड़-फूक करते थे, जिससे स्थिति ज्यादा बिगड़ जाती थीं और कई बार मरीज की मृत्यु तक हो जाती थीं। बताया जाता है कि यहां बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की बीमारी से मृत्यु की कई घटनाए घटित हो चुकी है। गांव में हायर सेकेण्डरी तक शिक्षा

हेल्पलाईन

हेल्पलाईन पर पूछे, समझे, और उपयोग करे
आपकी मदद के लिये तत्पर हेल्पलाईन नं. 0755-2467625, 4993147
पंचायत राज महासंघ सचिवालय
36, ग्रीन एवेन्यु, चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश

स्वामी एवं प्रकाशक पंचायती राज महासंघ के लिए सचिव पंचायती राज महासंघ द्वारा प्रकाशित एवं केपीटल प्रिंटर्स ए-1, प्लाट नं 7 प्रेस काम्पलेक्स एम.पी. नगर, जोन-1, भोपाल से मुद्रित एवं 36, ग्रीन एवेन्यू चूना भट्टी कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- लता गुडडू वानखेड़े, कार्यकारी संपादक-राजेन्द्र बंधु, संपादकीय सलाहकार मंडल, ब्रजकिशोर डण्डोतिया, चतुरेश सेन, श्याम श्रीवास्तव, आशुतोष रजक। मुद्रित सामग्री के चयन के लिए पी.आर.बी एक्ट के तहत जिम्मेवार, न्यायिक क्षेत्र-भोपाल। सहयोग- समर्थन, भोपाल (म.प्र.) फोन नं. 0755-2467625, 4993147